

Written by कुमार सौवीर  
Saturday, 20 January 2018 02:14

: 0000 00 00000 000 000 000000 00 000000 00 000000 000000 : 0000 000 0000 00  
000000 00 0000000000 00 0000000 0000000 0000 0000 : 000000 00000 0000 0000 00000000  
00000, 00 00 000000 00 000000 00000 : 0000 00000 00 00 00 00 000000 00 00000 **307** 00  
**326** 0000 00000 000000 00 :



000000 000000

00000 : त्रिविणी नगर स्थति ब्राइट लैड स्कूल क नाम आज क्सी शातरि हत्यारी घटना से जुड चुक है। पूरी राजधानी ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी इस हादसे की धमक है। वजह है इसक गुरूधाम के रेयान स्कुल के चरतिर से जुडता दखि रहा है। लेकिन उससे भी ज् यादा संगीन मामला तो इस मामले में पुलसि द्वारा की गयी करवाई के लेकरी दीखता जा रहा है। ठीकउसी तरह, जैसे गुरूधाम की पुलसि की करतूत थी। हकीकत यह है कि इस ब्राइटलैड स्कूल के मामले में पुलसि ने अपनी करतूतों के चलते अपराध क मूल्यांकन जम्मेदार लोगों की उनकी हाली माली हैसयित पर तयकर दिया है।

पुलसि ने इस हादसे में क बच्ची के हमलावर के तौर पर चनिहति किया है। वह चनिहीकरण किस आधार पर हुआ, उस पर बातचीत बाद में की जागी। लेकिन पहले यह समझ लिया जाना जरूरी है कि इस बच्ची क परिवार क कन्यूनआय वर्ग से है। बच्ची क पति हाईकोर्ट में चपरासी के पद पर कर्यरत है। जबकि इस मामले में स्कुल प्रबंधन के दो नदिशकों क नाम जुडा है, जो अतिउच्च आयवर्ग से सम्बद्ध है।

0000000000 00 000000 000000 00 000000 00 0000 0000000 00000 00 000000 00000 0000000000

पुलसि ने अपनी तहकीकत में पाया कि उसे स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा क के बच्चे पर उस बच्ची ने जानलेवा हमला किया। हमलावर के तौर पर पहचानी गई बच्ची के संभवतः कक्षा 6 की छात्रा के तौर पर माना गया है। पुलसि ने इस घटना में भारतीय अपराध दंड संहति 324 और 325 के तहत मामला दर्ज कर, उसे बाल-गृह में बंद कर दिया है। जबकि इस मामले के 1 दिन बाद पुलसि ने स्कूल के 2 नदिशकों के धारा 202 और धारा 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें रात भर थाने में पुलसि कस्टडी में रखकर अगले दिन उन्हें अदालत भेज दिया। जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रहा कर दिया।

पुलसि क खेल यहां से शुरू हुआ। दरअसल 324 और 325 धारा क जमानती धारा है जिसे थाने से ही नपिटा दिया जाना चाहिए।



Written by कुमार सौवीर  
Saturday, 20 January 2018 02:14

---